तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	हुक्म की तामील में जारी हुए

22/5/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। वादी अधिवक्ता की ओर से बहस प्रार्थना पत्र की गई। जो सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीनी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम देवली मच्छियान पटवार हल्का किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 में खाता संख्या नया 62 पुराना 61 की खसरा नं0 477 रकबा 0.41 है0 आराजी स्थित है। उक्त आराजी वादीनी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 तथा उनकी माता रामधनी बाई के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। वर्तमान में रामधनी बाई की मृत्यु हो चुकी है उक्त आराजी में वादीनी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 का समभागा से हक एवं हिस्सा निहित है। उक्त राजस्व अभिलेख में वादीनी का नाम मंगू बाई पुत्री रामकिशन के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। वादीनी का वास्तवीक नाम मीनाक्षी देवी पुत्री रामकिशन (पत्नी सत्यनारायण) है। वादीनी के माता–पिता द्वारा बचपन में वादीनी को प्यार से बोलते नाम मंगू बाई के नाम से भी पुकारा जाता था। वादीनी के रिकॉर्ड मतदाता पहिचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक आदि में वास्तविक नाम मीनाक्षी देवी दर्ज हो रहा है, किंतु ग्राम देवली मच्छियान के उक्त राजस्व अभिलेख में जमाबंदी में वादीनी का बोलता नाम मंगू बाई दर्ज होने से काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम देवली मच्छियान तहसील लाडपुरा जिला कोटा की वाद पत्र में वर्णित आराजी ख0नं0 477 रकबा 0.41 है0 में वादीनी का नाम मंगू बाई पुत्री रामकिशन को दुरुस्त फरमाकर मीनाक्षी देवी पुत्री रामकिशन दर्ज फरमाया जावे तथा वादीनी की माता रामधनी बाई पत्नी रामकिशन का नाम खाते से डिलीट किये जाने का आदेश प्रदान कर उक्त आराजी वादीनी मीनाक्षी देवी पुत्री रामकिशन के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के साथ समभाग से खातेदार घोषित फरमाया जावे।

वाद–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।

वादीनी के वाद–पत्र के सम्बन्ध में प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 की ओर से जवाब दावा पेश कर वाद पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादी नं0 6/तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि उपस्थित ग्राम वासियान ने बताया रामकिशन बैरागी की पुत्री मंगू/ मीनाक्षी के बारे में पूछताछ की गई ग्राम वासियान ने बताया कि मिनाक्षी का बचपन का बोलता नाम मंगू था व दस्तावेजों में मंगू का नाम मिनाक्षी देवी दर्ज है। मंगू व मिनाक्षी एक ही है।

बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस वादीपक्ष द्वारा अपने वाद–पत्र के कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज मतदाता पहिचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक की प्रति एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मंगू बाई एवं मिनाक्षी एक ही महिला के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट वाद–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत् वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम देवली मच्छियान पटवार हल्का किशनपुरा तकिया में खसरा नं0 477 रकबा 0.41 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीनी का नाम मंगू बाई पुत्री रामकिशन के स्थान पर मंगू बाई उर्फ मिनाक्षी पुत्री रामकिशन दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 22/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
को